सेवा में,

माननीय रजिस्टार महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली, पिन–110001

पत्रांक 794 /क्षे0प्रदूषण कार्या/2019–20 दिनांक : अक्टूबर 19/2019

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2019, रज्जाक बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के अनुपालन में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली, द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.09.2019 को आदेश पारित कर मदन सागर तालाब महोबा में अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गये है।

Grievance in this matter, which has been treated as an application, is against illegal encroachment of Madan Sagar pond at Mahoba Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Mahoba look into the matter take appropriate action in accordance with Law and furnish a factual and action taken report in the matter with in one month.

मननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्र सं0–452/एस0टी0–ए0डी0एम0/2018–19 दिनांक 19.10.2018 की आख्या को संलग्न कर माननीय प्राधिकरण के आदेश के दिनांक 16.09.2019 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

18/11/19

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बांदा (उ0प्र0)

संलग्नक :–यथोपरि

प्राप्तकर्ता 30/10/19

अति आवश्यक

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

पत्रांक– 452 /एस0टी0–एडीएम/2018–19 दिनांक अक्टूबर 19, 2019

विषयः– शहर महोबा में शहर के मध्य आवादी में स्थित चन्देल कालीन तालाब ''मदनसागर'' में अवैध अतिक्रमण करके स्थायी निर्माण एवं तालाब के पेयजल में कम्पट फैक्ट्री का रसायनिक दूषित जल गिरायें जाने के संबंध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बांदा।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली, द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.09.2019 को आदेश पारित कर मदन सागर तालाब महोबा में अवैध अतिक्रमण के संबंध में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मा0प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1754/आशु0कार्या0/2019–20 दिनांक 20.09.2019 द्वारा उप जिलाधिकारी, महोबा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड महोबा व अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड महोबा की संयुक्त टीम गठित करके जांच एवं कार्यवाही करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम आप द्वारा संयुक्त जाँच आख्या पत्र संख्या 733/शिकायत/मदन सागर तालाब/2019 दिनांक 11.10.2019 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में प्रकरण में कृतकार्यवाही की आख्या जिलाधिकारी महोदय की ओर से मा0 प्राधिकरण को भिजवायें जाने की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित करायें। प्रकरण मा0 हरित प्राधिकरण के आदेश से आच्छादित है अतः इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब एवं अनावश्यक पत्राचार न किया जायें।

संलग्नकः–यथोक्त।

19/10/19
(आर0एस0वर्मा)
अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
महोबा

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
महोबा

th New S.T.
atter 698

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

संख्या- 1754/आशु0कार्या0/2019-20 दिनांक : सितम्बर, 20, 2019

01. उप जिलाधिकारी, महोबा।

02. क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी, उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, महोबा।

03. श्री दिग्विजय सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा।

कृपया मा0अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित श्री रज्जाक पुत्र भूरा, निवासी भीतरकोट, महोबा के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मा0 हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.09.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मदन सागर तालाब में अवैध अतिक्रमण के संबंध में है।

अतः मा0 हरित प्राधिकरण के आदेश एवं उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया प्रकरण की संयुक्त रूप से जांच कर लें तथा तथ्यात्मक जांच आख्या दिनांक 05.10.2019 के पूर्व अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं। पूर्व में अगर कोई जांच या कार्यवाही राजस्व या सिंचाई विभाग द्वारा की गयी हो तो उसकी रिपोर्ट भी साथ में प्रस्तुत की जाए एवं यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तथा अवैध अतिक्रमण पाया गया हो तो कार्यवाही करते हुए संयुक्त आख्या अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा0हरित प्राधिकरण के आदेश से आच्छादित है, अतः इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

20/9/19

(अवधेश कुमार तिवारी)

जिलाधिकारी, महोबा।

प्रतिलिपि- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा को मय संलग्नक अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, महोबा।

Misc-129

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या 733/शिकायत/मदन सागर तालाब/19 दिनांकः 11/10/19

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी महोदय,
जनपद–महोबा।

विषय : श्री रज्जाक पुत्र श्री भूरा, निवासी भीतर कोट महोबा द्वारा मदन सागर तालाब में अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायती पत्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 442/एस0टी0–ए0डी0एम0/2019–2020 दिनांक 09.10.2019 तथा उपजिलाधिकारी महोबा के पत्रांक 50/एस0टी0/विविध पत्राचार/2019 दिनांक 24.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री रज्जाक पुत्र श्री भूरा, निवासी भीतर कोट महोबा द्वारा मदन सागर तालाब में अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायती पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2019 व 04.10.2019 को गठित समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्ल कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

11/10/19
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

1332
RO (महोबा)
कृ० सूचना मा० हरित प्राधिकरण को भिजवायें।
ADM (F/R)
17-10-19

श्री रज्जाक पुत्र भूरा, निवासी भीतर कोट महोबा द्वारा मदन सागर तालाब में अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायती पत्र की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा के पत्रांक 442/एस0टी0–ए0डी0एम0 /2019–2020 दिनांक 09.10.2019 तथा उपजिलाधिकारी महोबा के पत्रांक 50/एस0टी0/विविध पत्राचार/2019 दिनांक 24.09. 2019 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.10.2019 व 04.10.2019 को किया गया जिसमें श्री इरफान अंसारी पुत्र अब्दुल रहमान अंसारी, निवासी भीतर कोट, जनपद–महोबा उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।

1. मदन सागर, महोबा के निकट श्री इरफान अंसारी पुत्र अब्दुल रहमान अंसारी, निवासी भीतर कोट, जनपद–महोबा द्वारा अत्यन्त लघु कुटीर उद्योग के रूप में चीनी का चासनी बना कर चूसने वाली मीठी टाफी प्रकार की गोलीयॅा इत्यादि लगभग 5.0 से 10.0 किलो ग्राम प्रतिदिन का उत्पादन किया जाता है।
2. कच्चे माल के रूप में एल0पी0जी0 संचालित भट्टी पर चीनी की चासनी बना कर (डाई/फर्मा) में ढाल कर ठन्डा (वायु मण्डल तापमान पद्धति से) किया जाता है। जिससे जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण की सम्भावना अत्यन्त न्यूनतम एवं नगण्य पायी गयी, तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से पब्लिक न्यूसेंस की समस्या विद्यमान होना नही पाया गया अतः प्रदूषण जनित समस्या समुचित प्रतीत नही होती है।
3. उद्योग द्वारा कच्चे माल को ठण्डा करने के लिए वाटर टैंक से वाटर सर्कुलेशन का उपयोग किया जाता है।
4. उक्त उद्योग में ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 (इको फ्रेन्डली) प्रयोग किया जाता है। उद्योग अप्रदूषणकारी प्रकृति का है जिसमें वायु प्रदूषण परिलक्षित नही पाया गया। निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण तालाब में नही पाया गया।
5. मदनसागर तालाब की सीमा की पैमाइस राजस्व टीम, नगर पालिका एवं सिचाई विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर की गयी। पैमाइस पर मदन सागर तालाब पर कोई अतिक्रमण नही पाया गया है। अर्थात मदन सागर तालाब की भूमि सुरक्षित है।
6. श्री इरफान अंसारी पुत्र अब्दुल रहमान अंसारी निवासी भीतरकोट जनपद महोबा का लघु कुटीर उद्योग (कम्पट फैक्टरी) निरीक्षण के दौरान मदन सागर तालाब की भूमि पर नही पायी गयी है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जुबैर अहमद खाँ)	(संदीप सिंह)	(हीरालाल)	(बालकृष्ण सिह)	(घनश्याम)
जे0आर0एफ0	क्षे0 लेखपाल	क्षे0रा0 निरीक्षक	तहसीलदार	क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0 बोर्ड, बांदा	महोबा	महोबा	महोबा	उ0प्र0प्र0नि0 बोर्ड, बांदा

क्षेत्रीय अधिकारी/उपजिलाधिकारी (वि0/रा0)

11/10/19
sdm

कार्यालय उपजिलाधिकारी महोबा

संख्या– 403 /एस0टी0–विविधपत्रा0/2019 दिनॉक 11-10- 2019

जिलाधिकारी
महोबा

महोदय

सादर अवगत कराना है कि एन0जी0टी0 में आख्या दाखिल करने एवं आपके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशो के क्रम में मदन सागर तालाब की पैमाइस राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं सिचाई विभाग की टीम गठित कर पैमाइस करायी गयी। गठित टीम द्वारा मदन सागर तालाब की पैमाइस कर अपनी संयुक्त पैमाइस आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः गठित टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त पैमाइस आख्या से स्पष्ट हुआ की मदन सागर तालाब की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही पाया गया है। उपलब्ध करायी गयी पैमाइस आख्या संलग्नकर सादर प्रेषित है।

11/10/19
उपजिलाधिकारी
महोबा

ADM(F/R)
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी
महोबा (उ0प्र0)
11.10.19

OFFCIE LETER [411]